न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मऊ, चित्रकूट।

मूलवाद संख्या– 71/2012

लक्ष्मी नारायण बनाम ओम प्रकाश आदि

14.10.2020–

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्तागण उपस्थित हैं। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र 35ग2 व 36ग2 तथा वादी की आपत्ति 39ग2 पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 35ग2

प्रार्थना पत्र 35ग2 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस आशय का दिया गया है कि इस वाद में वाद की कार्यवाही दिनांक 11.12.2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय अग्रसारित कर दी गयी है। प्रार्थना की गयी है कि उक्त आदेश को अपास्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किए जाने में यदि कोई विलम्ब हुआ हो तो उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए क्षमा किया जाए।

वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति में अभिकथन किया गया कि विलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं साक्ष्यविहीन है। प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 36ग2 को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने हेतु है। प्रार्थना पत्र 36ग2 को प्रस्तुत करने में कितना विलम्ब हुआ है तथा इस हेतु परिसीमा अवधि क्या है, इसका विवरण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नही दिया गया है। प्रार्थना पत्र 36ग2 इस वाद में वाद की कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय अग्रसारित किए जाने के आदेश दिनांकित 11.12.2017 को अपास्त किए जाने हेतु है। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के तृतीय खण्ड के प्रथम भाग में एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र के लिए कोई परिसीमा अवधि प्रावधानित नही है। अनुसूची के तृतीय खण्ड के द्वितीय भाग की इन्ट्री 137 में यह वर्णित है कि ऐसे प्रार्थना पत्र जिनके लिए कोई परिसीमा अवधि प्रावधानित नही है, उसके लिए परिसीमा अवधि तीन वर्ष होगा। उक्त प्रावधान के प्रकाश में प्रार्थना पत्र 36ग2 के लिए परिसीमा अवधि तीन वर्ष है। प्रार्थना पत्र में एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किए जाने की तिथि 11.12. 2017 अंकित है तथा यह प्रार्थना पत्र 04.03.2020 को प्रस्तुत किया गया है जो

कि तीन वर्ष के अन्तर्गत है। अतः प्रार्थना पत्र 36ग2 काल बाधित नही है। इसलिए इसके विलम्ब मर्षण के लिए प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र 35ग2 औचित्यहीन है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 35ग2 खारिज किए जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 35ग2 खारिज किया जाता है।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 36ग2</u>

प्रार्थना पत्र 36ग2 प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस मूलवाद की जानकारी उसे पहले नही थी। दिनांक 02.03.2020 को वह एक अन्य वाद की तलाश केस डायरी में कर रहा था तो इस वाद का नाम उसे केस डायरी में मिला। संदेह होने पर उसके द्वारा जानकारी की गयी तो मालूम हुआ कि इस वाद में उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 11.12.2017 को एकपक्षीय अग्रसारित कर दी गयी है। उसे इस वाद के सम्बन्ध कोई नोटिस सम्मन कभी प्राप्त नही हुए तथा यदि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नही प्रदान किया जाता है तो वह न्याय से वंचित हो जाएगा। प्रार्थना की गयी है कि आदेश दिनांकित 11.12.2017 को अपास्त कर उसे बयान तहरीरी, आपत्ति, साक्ष्य व सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाए।

वादी द्वारा अपनी आपत्ति 39ग2 में अभिकथन किया गया है कि उक्त प्रतिवादी पर तामीला हेतु प्रोसेस सर्वर, जरिए रजिस्ट्री तथा जरिए गजट प्रकाशन कार्यवाही की गयी है फिर भी प्रतिवादी जानबूझकर हाजिर नही आया। एक पक्षीय कार्यवाही के लगभग अढाई वर्ष बाद उक्त प्रतिवादी उपस्थित आया है। प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

आदेश पत्रक के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 11.12.2017 को समाचार पत्र में प्रकाशन के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामीला पर्याप्त मानते हुए वाद की कार्यवाही एक पक्षीय अग्रसारित कर दी गयी है। प्रतिवादी पक्ष इस वाद में कभी उपस्थित नही आए हैं। नैसर्गिक न्याय की यह अपेक्षा है कि प्रत्येक मामले का निस्तारण यथा संभव गुण दोष के आधार पर किया जाए। वाद की कार्यवाही में कारित हुए विलम्ब से निश्चित ही वादी को

असुविधा हुयी है। वादी को हुयी असुविधा का समायोजन हर्जे पर किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र 36ग2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 36ग2 मु0 650/– रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दिनांक 11.12.2017 को पारित आदेश केवल आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 ओम प्रकाश के संबंध में अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग2 दिनांक 11.11.2020 को पेश हो। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी आपत्ति नियत तिथि तक दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315